

राजस्थान सरकार
कार्यालय अतिरिक्त मुख्य सचिव
चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग

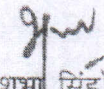
क्रमांक: अ.मु.स./नि.स./संस्थापन/2024/108

जयपुर, दिनांक 11.06.2024

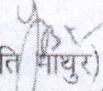
-:: आदेश ::-

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में विभिन्न विभागों यथा भारत सरकार/मुख्यमंत्री कार्यालय/मंत्रीगण के कार्यालय/मुख्य सचिव कार्यालय/आयोजना विभाग इत्यादि से प्राप्त होने वाले पत्रों की सूचनाएं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन आने वाले विभिन्न अनुभाग/कार्यालयों से संबंधित होती है, जिन्हें ईकजाई कर प्रस्तुत करने हेतु श्री ग्यारसी लाल शर्मा, शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-5) विभाग को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

श्री शर्मा चिकित्सा विभाग के संबंधित अनुभाग/कार्यालयों से समन्वय स्थापित करते हुए सूचना प्राप्त करेंगे, तत्पश्चात् वांछित सूचना ईकजाई कर सक्षम स्तर से अनुमोदित करवाते हुए संबंधित को भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे। इस कार्य में श्री ओर.के. अग्रवाल, एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग उन्हें सहयोग करेंगे।


(शुभा सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

1. विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जी को सूचनार्थ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को सूचनार्थ।


(प्रीति माथुर)
संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान-सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/सामान्य/2024/317

दिनांक : 11/06/2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग राज0 जयपुर।
4. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-5) विभाग राज0 जयपुर।
5. समस्त निदेशक/अति. निदेशक/संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज. जयपुर।
6. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन राज.।
7. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राज.।
8. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राज.।
9. समस्त खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी राज.।
10. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश आज ही विभागीय वेबसाईट पर अपलोड/संबंधित को ई-मेल करावें।
11. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।